राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर
वेबसाईट– www.tourism.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– एफ.8(428)/ट्रेड/गाईड प्रशि./2022/ 1265 दिनांकः–22/04/2022

पर्यटक गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8 की उप धारा (1) के अधीन गाइडों के अनुज्ञापन हेतु जारी राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार 5000 स्थानीय स्तर एवं 1000 राज्य स्तर के पर्यटक गाइडों के चयन के लिए आयोजित की जाने वाली गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदकों से निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैंः–

प्रशिक्षण कार्यक्रम (गाइड स्तर)	**आयु सीमा**	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**
राज्य स्तर गाइड (प्रशिक्षण सीटें – 1000)	01 अप्रैल, 2022 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी संस्था से पर्यटन में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक होना चाहिए
स्थानीय स्तर गाइड (प्रशिक्षण सीटें – 5000)	01 अप्रैल, 2022 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो *(उपरोक्त नियम में उल्लेखित अनुसार 10 वर्ष का गाइडिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष होगी)*	भारत में विधि द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकेण्डरी परीक्षा या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए *(यदि किसी के पास 10 वर्ष से अधिक की गाइडिंग का अनुभव है और वह वन विभाग/पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग/अन्य सरकारी उपक्रम/विभाग या निजी न्यासों द्वारा चलाये जा रहे ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों द्वारा जारी परिचय–पत्र/ अनुज्ञप्ति कार्ड रखता है तो ऐसे अभ्यर्थी को सैकण्डरी परीक्षा या 10वीं उत्तीर्ण की अर्हता में शिथिलन देय होगा)*
आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हेतु राशि रू. 500/– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु राशि रू. 250/–		

दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवेदन करने वाले आवेदकों को क्रमशः राशि रूपये 1000/- (सामान्य वर्ग) एवं राशि रूपये 500/- (आरक्षित वर्ग) आवेदन शुल्क देय होगा।

(भुगतान ऑनलाइन आवेदन पार्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है।)

हेल्पलाइन नम्बर - 9509158779 (तकनीकी सहायता के लिए), 9509068272 (अन्य सहायता के लिए)

ई-मेलः guideexamraj@gmail.com

दोनों स्तर के गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पृथक–पृथक प्रवेश परीक्षाएं ऑफलाइन एक ही दिन में आवेदक के जिला/जिला समूह से संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र के जिला मुख्यालयों (अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, कोटा, झालावाड, माउंट आबू (सिरोही), सवाई माधोपुर तथा उदयपुर) के एक ही परीक्षा केन्द्र पर दो पारियों में आयोजित की जावेगी। आवेदकों को परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र की सूचना से पृथक से अवगत कराया जायेगा। परीक्षा केन्द्र सामान्यतः आवेदक के मूल निवास (Domicile) के जिले से संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र के जिला मुख्यालय पर आवंटित किया जायेगा।

1. राज्य स्तरीय 1000 गाइडों के लिए वर्गवार विवरण

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
360	72	29	7	160	32	13	3	120	25	9	2	210	42	17	4	50	10	4	1	100	20	8	2
क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 40 (BL-10,HI-10,LD-10,ID-10), भूतपूर्व सैनिक–120, उत्कृष्ट खिलाड़ी–20																							

(राज्य स्तर के गाइड सफल प्रशिक्षणोपरान्त पूरे राज्य में निर्दिष्ट स्थलों पर गाइडिंग कार्य कर सकते है।)

(1) राज्य स्तर गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु आवेदन प्रक्रिया :–

i. **आवेदन प्रक्रियाः– आवेदन** www.tourism.rajasthan.gov.in तथा https://www.ihmjaipur.com वेबसाइट पर दिये गये लिंक rajguidetrainig2022.in के माध्यम से आनलाइन भरे जाएगे।

सामान्य शर्तेः–गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू विस्तृत नियम, दिशा निर्देश एवं विस्तृत आवेदन पत्र व अन्य विवरण www.tourism.rajasthan.gov.in तथा https://www.ihmjaipur.com पर देखी जा सकती है।

ii. **आवेदन करने की अंतिम तिथिः–दिनांक 25.05.2022**

2. स्थानीय स्तर के 5000 गाइडों के चयन व प्रशिक्षण के 14 केन्द्रों के लिए केन्द्रवार (जिला/जिला समूह) संख्या, आरक्षण देयता एवं आवेदन प्रक्रिया

1. पर्यटन कार्यालय–अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा कुल पदों की संख्या–200

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
72	15	5	1	32	7	2	.	24	5	2	.	42	9	3	.	10	2	1	.	20	5	1	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 8 (BL-2,HI-2,LD-2,ID-2), भूतपूर्व सैनिक–24, उत्कृष्ट खिलाड़ी–4

2. पर्यटन कार्यालय–अलवर कुल पदों की संख्या–100

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
36	7	3	.	16	3	1	.	12	2	1	.	21	5	1	.	5	1	.	.	10	2	1	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 4 (BL-1,HI-1,LD-1,ID-1), भूतपूर्व सैनिक–12, उत्कृष्ट खिलाड़ी–2

3. पर्यटन कार्यालय–भरतपुर, धौलपुर कुल पदों की संख्या–200

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
72	15	5	1	32	7	2	.	24	5	2	.	42	9	3	.	10	2	1	.	20	5	1	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 8 (BL-2,HI-2,LD-2,ID-2), भूतपूर्व सैनिक–24, उत्कृष्ट खिलाड़ी–4

4. पर्यटन कार्यालय–बीकानेर, हनुमानगढ, गंगानगर कुल पदों की संख्या–250

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
93	19	7	1	39	8	3	.	30	7	2	.	52	10	4	1	12	2	1	.	24	5	2	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 10 (BL-3,HI-3,LD-2,ID-2), भूतपूर्व सैनिक–30, उत्कृष्ट खिलाड़ी–5

5. पर्यटन कार्यालय–चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ कुल पदों की संख्या–200

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
72	15	5	1	32	7	2	.	24	5	2	.	42	9	3	.	10	2	1	.	20	5	1	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 8 (BL-2,HI-2,LD-2,ID-2), भूतपूर्व सैनिक–24, उत्कृष्ट खिलाड़ी–4

6. पर्यटन कार्यालय–जयपुर, दौसा कुल पदों की संख्या–1500

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
540	109	43	10	240	49	19	4	180	37	14	3	315	63	25	6	75	15	6	1	150	30	12	3

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 60 (BL-15,HI-15,LD-15,ID-15), भूतपूर्व सैनिक–180, उत्कृष्ट खिलाड़ी–30

स्थानीय स्तर गाइड के लिए न्यूनतम अर्हताः–

7. पर्यटन कार्यालय–जोधपुर, पाली कुल पदों की संख्या–850

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
309	62	24	6	135	27	11	2	102	20	8	2	178	36	14	3	42	9	3	.	84	17	7	1

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 34 (BL-9,HI-9,LD-8,ID-8), भूतपूर्व सैनिक–102, उत्कृष्ट खिलाड़ी–17

8. पर्यटन कार्यालय–जैसलमेर, बाड़मेर कुल पदों की संख्या–650

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
237	48	19	4	103	20	8	2	78	16	6	1	136	27	11	2	32	7	2	.	64	13	5	1

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 26 (BL-7,HI-7,LD-6,ID-6), भूतपूर्व सैनिक–78, उत्कृष्ट खिलाड़ी–13

9. पर्यटन कार्यालय–झुन्झूनू, सीकर, चूरू कुल पदों की संख्या–200

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
72	15	5	1	32	7	2	.	24	5	2	.	42	9	3	.	10	2	1	.	20	5	1	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 8 (BL-2,HI-2,LD-2,ID-2), भूतपूर्व सैनिक–24, उत्कृष्ट खिलाड़ी–4

10. पर्यटन कार्यालय–कोटा, बूंदी कुल पदों की संख्या–70

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
27	6	2	.	11	2	1	.	8	2	.	.	14	3	1	.	3	.	.	.	7	2	.	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 3 (BL-1,HI-1,LD-1), भूतपूर्व सैनिक–8, उत्कृष्ट खिलाड़ी–1

11. पर्यटन कार्यालय–झालावाड़, बारां कुल पदों की संख्या–50

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
21	5	1	.	7	2	.	.	6	1	.	.	10	2	1	.	2	.	.	.	4	1	.	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 2 (BL-1,HI-1), भूतपूर्व सैनिक–6, उत्कृष्ट खिलाड़ी–1

12. पर्यटन कार्यालय–माउन्ट आबू, सिरोही, जालोर कुल पदों की संख्या–100

सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
36	7	3	.	16	3	1	.	12	2	1	.	21	5	1	.	5	1	.	.	10	2	1	.

क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 4 (BL-1,HI-1,LD-1,ID-1), भूतपूर्व सैनिक–12, उत्कृष्ट खिलाड़ी–2

(i) अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा या 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

13. पर्यटन कार्यालय–सवाई माधोपुर, टोंक, करौली कुल पदों की संख्या–100																							
सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
36	7	3	.	16	3	1	.	12	2	1	.	21	5	1	.	5	1	.	.	10	2	1	.
क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 4 (BL-1,HI-1,LD-1,ID-1), भूतपूर्व सैनिक–12, उत्कृष्ट खिलाड़ी–2																							

14. पर्यटन कार्यालय–उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डुगरपुर कुल पदों की संख्या–530																							
सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति.पिछड़ा वर्ग				आर्थिक कमजोर वर्ग			
सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
193	39	15	3	84	17	7	1	63	12	5	1	111	22	9	2	26	5	2	.	53	10	4	1
क्षैतिज आरक्षण–विशेष योग्यजन 22 (BL-6,HI-6,LD-5,ID-5), भूतपूर्व सैनिक–64, उत्कृष्ट खिलाड़ी–10																							

(ii) परन्तु स्थानीय स्तर के गाइडों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के मामले में सैंकण्डरी परीक्षा की उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हता की अपेक्षा को शिथिल किया जायेगा, यदि किसी व्यक्ति के पास दस वर्ष से अधिक की गाइडिंग का अनुभव है और वह वन विभाग/पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग/अन्य सरकारी उपक्रम/विभाग या निजी न्यासों द्वारा चलाये जा रहे ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों द्वारा जारी परिचय–पत्र/अनुज्ञप्ति कार्ड रखता है।

आयु का निर्धारण–

आयु के निर्धारण के लिए आवेदक की 10वीं कक्षा की अंक तालिका/प्रमाण–पत्र के आधार पर अपनी सही जन्म तिथि आवेदन पत्र में अपलोड करनी होगी। इसी प्रकार स्थानीय स्तर के आवेदकों जिनके द्वारा दस वर्ष के गाइडिंग कार्य के अनुभव के आधार पर 10वीं उत्तीर्ण अर्हता से शिथिलन/छूट लेने के आधार पर आवेदन किया जा रहा है उनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी एवं प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

आवेदन शुल्क–

सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क राशि रु. 500/– एवं आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु राशि रु. 250/– निर्धारित है।

आरक्षण– राज्य सरकार द्वारा अवधारित विभिन्न वर्गो यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और विशेष योग्यजन को आरक्षण देय होगा।

गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये। यदि आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम की कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो वह योग्यता के आधार पर सामान्य या अन्य प्रवर्गो से संबंधित आवेदकों से भरी जायेगी। चूंकि पर्यटन गाइडों के चयन और प्रशिक्षण का उद्धेश्य उन्हें स्व–नियोजन के लिए तैयार करना है, इसलिए सीटों की रिक्त संख्या को अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

लिखित परीक्षा– स्थानीय एवं राज्य स्तरीय दोनों वर्गों के आवेदक गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र पाये गए अभ्यर्थियों को इस चयन हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र बहुविकल्पात्मक (Objective) प्रकार का होगा, जिसमें एक प्रश्न के चार विकल्प दिए होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में आवेदक द्वारा सही विकल्प को OMR शीट पर भरना होगा, गलत विकल्प का चयन करने पर कोई ऋणात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं किया जाएगा। परीक्षा आयोजन एजेन्सी के रूप में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत होटल प्रबंधन संस्थान, जयपुर (IHM) द्वारा राज्य के 14 केन्द्रों (अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, झुन्झुनूं, कोटा, माउंट आबू (सिरोही), सवाई माधोपुर, उदयपुर तथा झालावाड़) पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में दोनों वर्गों की परीक्षाओं के लिए राजस्थान के पर्यटन, कला, संस्कृति, वन्य जीवन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। स्थानीय स्तर गाइड के लिए वरीयता सूची जिला समूहवार एवं राज्य स्तर गाइड के लिए राज्य स्तर की वरीयता सूची जारी की जायेगी।

बोनस अंकः–किसी भारतीय या विदेशी भाषा में शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता सूची तैयार करते समय नियमानुसार बोनस अंक प्रदान किये जायेंगे। आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय ही अपने भाषा दक्षता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करना अनिवार्य है।

स्थानीय स्तर के गाइडों के लिए जिला समूहवार निम्न केन्द्रों के माध्यम से चयन उपरांत प्रशिक्षण सम्पन्न किए जाएगा।

क्र. सं.	संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र/परीक्षा केन्द्र	दूरभाष नं.	स्थानीय स्तर गाइड प्रशिक्षण हेतु संबंधित अधीनस्थ जिले	कुल प्रशिक्षण सीट
1	अजमेर	0145–2627426	(अजमेर,नागौर, भीलवाड़ा)	200
2	अलवर	0144–2347348	(अलवर)	100
3	भरतपुर	05644–222542	(भरतपुर, धौलपुर)	200
4	बीकानेर	0151–2226701	(बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़)	250
5	चित्तौड़गढ़	1472–241089	(चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़)	200
6	जयपुर	0141–2822863	(जयपुर, दौसा)	1500
7	जोधपुर	0291–2545083	(जोधपुर, पाली)	850
8	जैसलमेर	02992–252406	(जैसलमेर, बाड़मेर)	650
9	झुन्झुनू	01592–232909	(झुन्झुनू, सीकर, चूरू)	200
10	कोटा	0744–2327695	(कोटा, बूंदी)	70
11	झालावाड़	07432–230081	(झालावाड़, बारां)	50
12	माउंट आबू (सिरोही)	02974–235151	(सिरोही, जालौर)	100

13	सवाई माधोपुर	07462–220808	(सवाई माधोपुर, टोंक करौली)	100
14	उदयपुर	0294–2411535	(उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर)	530
कुल				5000

प्रशिक्षण के दौरान अथवा बाद में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का रोजगार या रोजगार भत्ता देय नहीं होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य स्तर के गाइड के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न्यूनतम 60 घंटे की अवधि का होगा। स्थानीय स्तर के गाइड के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम न्यूनतम 48 घंटे की अवधि का होगा सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण अवधि का 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

प्रशिक्षण शुल्कः–स्थानीय स्तर एवं राज्य स्तर दोनों श्रेणियों के गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अन्तर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हेतु राशि रू. 3000/– एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु राशि रू. 2000/– निर्धारित किया गया है। (यह राशि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चयनित आवेदकों द्वारा बाद में जमा कराई जायेगी)

पुलिस सत्यापनः–

(1) प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, वे गाइड के रूप में अनुज्ञप्त किये जाने के लिए पात्र घोषित किये जायेंगे।

(2) वे सभी व्यक्ति जो उप–नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्त किये जाने के पात्र हैं, अनुज्ञप्ति फीस, जो आयुक्त द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए, के संदाय के सबूत और स्थानीय पुलिस थाना जिसकी अधिकारिता में अभ्यर्थी निवास कर रहा है, से सदाचार और सच्चरित्र के पुलिस सत्यापन सहित राज्य स्तर के गाइड अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्रारूप ग में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। पुलिस सत्यापन के बिना अभ्यर्थी को गाइड परिचय–पत्र एवं अनुज्ञप्ति कार्ड जारी किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(1) चयन एवं प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थी को उनके वर्ग के स्थानीय स्तर अथवा राज्य स्तर का परिचय पत्र दिया जायेगा। आवेदक दोनों वर्गों (राज्य/स्थानीय स्तरीय) में पृथक–पृथक आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन कर सकता है यदि आवेदक दोनों वर्गों में अन्तिम रूप से प्रशिक्षण के लिए वरीयता सूची में स्थान पाता है तो उसे राज्य स्तरीय गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम में ही प्रवेश दिया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन www.tourism.rajasthan.gov.in तथा https://www.ihmjaipur.com व पोर्टल https://rajguidetraining2022.in/ पर दिये गए लिंक के माध्यम से ही आवेदन करें, अन्य किसी माध्यम से किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।

(3) पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पास योग्य एवं सुपात्र अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें गाइड प्रशिक्षण नियमों के अनुसार प्रशिक्षण में सम्मिलित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(4) गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जारी राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम 2021 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति संलग्न है।

(5) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय भरी गई समस्त सूचनाओं की सत्यता एवं मांगे जाने पर सत्यापन करवाने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की है।

– ह0 –

निदेशक
पर्यटन विभाग